न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 39/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2018/00244

उनवान

1. रामस्वरूप
2. समन्दर
3. महेन्द्र
4. कुमर सिंह

पुत्रान चरन जाति गूजरान निवासी खूटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

सुजान सिंह पुत्र कमल सिंह जाति गूजर निवासी नगला ज्ञानी पाटिका तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 29.08.18 उनवानी सुजान सिंह बनाम रामस्वरूप मु0न0 15/2017

उपस्थितिः–

1. श्री नारायण सिंह वकील अपीलांट।
2. श्री नारायण गौड वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 04.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट की ओर से अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश करते हुये, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, पूर्व में जारी अस्थाई

निषेधाज्ञा को मूल दावे के निस्तारण होने तक कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ होने के कारण अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण/अपीलांट के पूर्वज सुगन सिंह पुत्र कंचन सिंह के नाम जमाबन्दी में खातेदारी इन्द्राज को नजरअन्दाज करते हुये प्रथम दृष्टया केस साबित होने के बाबजूद अप्रार्थी/अपीलाण्ट को पाबन्द करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के पूर्वजो का विवादित आराजी पर इन्द्राज लगातार पचासो वर्षो से होता चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। रैस्पो0 ने अपने अन्य खातेदारी रकवा को उक्त वर्णित दावा में सम्मलित कर, झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, जो जाप्ता दीवानी में दिये गये कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश, नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेण्ट का जवाबी बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। विवादित आराजी रैस्पो0 को जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 227 कमल सिंह पुत्र बीरबल से प्राप्त हुयी है। परन्तु जमाबन्दी संवत 2021–2024 में वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की सहवन/भूल वश सुजान सिंह पुत्र कमल सिंह के बजाय सुगन सिंह पुत्र कमल सिंह दर्ज हो गया है जबकि विरासत नामान्तकरण संख्या 227 के मुताबिक रैस्पो0 का नाम सुजान सिंह दर्ज होना चाहिये था। इसके अलावा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल हकीयत 2050–70 तैयार करते समय विवादित आराजी पर सुगन सिंह पुत्र कंचन गलत दर्ज कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त पहलुओं को दस्तावेजी साक्ष्य से

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

विवेचन करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण राजस्व अभिलेख एंव विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हमें केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2017–20, 2021–24 मिसल हकीयत 2050–70, विरासत नामान्तकरण संख्या 227 के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति, अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विवेचनात्मक आदेश से वाद के निर्णय होने तक विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की पाबंद की है, जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि दौराने वाद, विवादित भूमि की सुरक्षा एवं वाद बहुलता रोकने हेतु, यह पाबंदी आवश्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2018 में हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर